राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 250/2025

सुनिल कुमार **–अपीलार्थी**

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय जयपुर, राजस्थान।
2. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त सचिव (प्रथम) ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् नागौर।
4. ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति भादरा, जिला हनुमानगढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक : 28.01.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री मंजीत गोदारा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 06.04.2023 के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी के रूप में हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में ग्रामीण विकास अधिकारी के पद पर गढ़डा, पंचायत समिति भादरा, जिला हनुमानगढ़ में कार्यरत है। अपीलार्थी का आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नलक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण ग्राम पंचायत डोभी किया गया है।

3. अपीलार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि अपीलार्थी की परिवीक्षा अवधि समाप्त नहीं हुई है ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है।
4. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एंव स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।
5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने D.B. Spl. Appl. Writ No. 601/2024 Monika V/s State of Raj में दिनांक 16.07.2024 को पारित आदेश में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :-

> *"There is no law of universal application that a probationer cannot be transferred from one place to another during the period of probation. Rather, this is in the interest of the probationer and the department that a probationer has varied experience while working at different places within the State."*

6. ऐसा कोई नियम हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया कि परिवीक्षाधीन कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता हो। अपीलार्थी के स्थानांतरण में काई विधि-विरूद्धता होना नहीं पाते है। यह नियोक्ता पर निर्भर करता है कि किसी कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना चाहता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।
7. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना-पत्र पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)